फा. सं. ए. 2901/1/2004-(प्रशा.)

भारत सरकार
कर्मचारी चयन आयोग
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक,लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
ब्लाक सं. 12
केन्द्रीय कार्यालय परिसर, लोधी रोड

GOVERNMENT OF INDIA
STAFF SELECTION COMMISSION
DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING
MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS
BLOCK No. 12
KENDRIYA KARYALAY PARISAR
LODI ROAD
New Delhi-110003

दिनांक : 28.2. 2014

परिपत्र

विषय: केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा (के स रा भा से) के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में से कर्मचारी चयन आयोग(उत्तरी क्षेत्र), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में एक कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) का विनियोजन (नियुक्ति)- तत्संबंधी पात्र सेवानिवृत्त पदाधिकारियों से आवेदन आमंत्रित करना।

कर्मचारी चयन आयोग(उत्तरी क्षेत्र), कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियो जो सरकार में कनिष्ठ हिन्दी अनुवादक अथवा उससे उच्च पद से सेवानिवृत्त हुए हैं में से निम्नलिखित निबंधन और शर्तों पर केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के रिक्त पद पर एक कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) विनियोजित करने का प्रस्ताव है:-

(i) उनकी कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) के रुप में नियुक्ति (विनियोजन) पहले एक वर्ष अर्थात् उस तिथि जिससे वह वास्तव में कार्य प्रारंभ करते हैं अथवा जब तक कर्मचारी चयन आयोग(उत्तरी क्षेत्र) के सक्षम प्राधिकारी उसकी सेवा चाहें अथवा जब तक राजभाषा विभाग से नियमित अधिकारी नामित न हो अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो तब तक पूर्णकालिक आधार पर होगी। यह विनियोजन (नियुक्ति) किसी भी समय कोई भी कारण बताए बिना समाप्त किया जा सकता है।

(ii) कनिष्ठ अनुवादक (हिन्दी) को 20,000/- (बीस हजार रुपए केवल) का समेकित पारिश्रमिक प्रति माह दिया जाएगा। वह अपने स्तर के केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए लागू किसी अन्य भत्ते जैसे टी ए (परिवहन भत्ता) डी ए/सी सी ए/एच आर ए/सी जी एच एस/चिकित्सा प्रतिपूर्ति/एल टी सी/ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति के लिए हकदार नहीं होंगे।तथापि वे कर्मचारी चयन आयोग(उत्तरी क्षेत्र) में रहते हुए सरकारी दौरे पर सामान्य नियमानुसार टी ए/डीए के हकदार होंगे।

(iii) वे एक केलैंडर वर्ष में यथानुपात आधार पर 8 दिन के अवकाश के पात्र होंगे। इसलिए वे एक वर्ष में 8 दिन से अधिक अनुपस्थिति के मामले में (यथानुपात आधार पर परिकलित) कोई पारिश्रमिक नहीं लेंगे। एक वर्ष में यदि वे अवकाश नहीं लेते हैं तो वह अवकाश आगामी केलैंडर वर्ष में शेष नहीं रहेगा।

(iv) वे विनियोजन के दौरान कर्मचारी चयन आयोग में आ सकेंगे और उन्हें पुस्तकालय से नियमानुसार पुस्तकें लेने की अनुमति होगी।

(v) कनिष्ठ अनुवादक के रुप में उन्हें निम्नलिखित कार्य करने होंगे:-

(क) विभिन्न दस्तावेजों का अंग्रेजी से हिन्दी व विलोमत: अनुवाद।

(ख) **हिन्दी अधिकारियों की हिंदी बैठकों एवं हिंदी कार्यशालाओं के आयोजन में मदद करना।**

(ग) हिंदी बैठकों में संपर्क अधिकारी के रुप में कार्य करना।

(घ) फाइलों, रिकार्ड का रखरखाव करना और हिंदी अनुभाग से संबंधित सौंपे गए अन्य कार्य करना।

(vi) वे आयोग की पूर्व अनुमति के बिना इस अवधि के दौरान कोई अन्य कार्य नहीं करेंगे।

(vii) वह कार्यभार ग्रहण करने पर वचन देंगे कि कर्मचारी चयन आयोग(उत्तरी क्षेत्र) में कनिष्ठ अनुवादक के रुप में अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते हुए वे कार्यालय मामले की किसी भी गोपनीयता को प्रकट नहीं करेंगे।

2. वे आवेदक जो सरकार से कम से कम कनिष्ठ अनुवादक के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, अपने पीपीओ की एक प्रति सहित अपने आवदेन संलग्न प्रारुप में इस परिपत्र के जारी होने के 30 दिन के भीतर श्री अशोक के. विजय, अवर सचिव, (प्रशासन), कमरा नं.516, कर्मचारी चयन आयोग(उत्तरी क्षेत्र), ब्लॉक 12, के.का. परिसर, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 को भेज दें।

(अशोक के.विजय)
अवर सचिव (प्रशा.)

संलग्न: आवेदन का प्रपत्र

सेवा में,

सभी मंत्रालय/विभागों को के.स.रा. सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में परिचालन के लिए।

प्रतिलिपि:-

1 उप-निदेशक (रा.भा.), कर्मचारी चयन आयोग(मुख्यालय), नई दिल्ली।
2. अवर सचिव (रा.भा. सेवा) राजभाषा विभाग, एनडीसीसी-2 भवन, बी-विंग, चौथा तल, जयसिंह रोड, नई दिल्ली-1 को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि इस परिपत्र को के.स.रा.सेवा के सेवानिवृत्त पदाधिकारियों में परिचालित करने हेतु राजभाषा विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
3. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे व्यापक परिचालन के लिए इस परिपत्र को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग की वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
4. एन आईसी सेल, कर्मचारी चयन आयोग(उत्तरी क्षेत्र), नई दिल्ली को इस अनुरोध सहित प्रेषित कि वे तत्काल इस परिपत्र को वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।

प्रपत्र

कर्मचारी चयन आयोग(उत्तरी क्षेत्र) में कनिष्ठ अनुवादक के रूप में विनियोजन (नियुक्ति)

(यहॉ हाल ही में खींची गई पासपोर्ट आकार की फोटो चिपकाई जाए)

1. नाम :
2. जन्म-तिथि :
3. सम्पर्क नम्बर :
4. पत्राचार के लिए पता :
5. सरकार में कार्य भार ग्रहण करने की तारीख :
6. सेवानिवृत्ति की तारीख :
7. मंत्रालय/विभाग का नाम जहॉ से सेवानिवृत्त हुए हैं
8. लिया गया अंतिम वेतन :
   (क्या पीपीओ की प्रति संलग्न की है।):
9. शैक्षिक योग्यता :
10. कम्पयूटर ज्ञान का विवरण :
11. अनुभव का संक्षिप्त ब्यौरा:

धारित पद	से	तक	मंत्रालय/विभाग	किए गए कार्य (विषय) संक्षेप में

मैं एतदद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए विवरण मेरे पूर्ण विश्वास के अनुसार ठीक हैं। मैं इसके अतिरिक्त यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि सेवानिवृत्ति के समय मुझे सतर्कता की दृष्टि से अनापत्ति प्रदान की गई थी।

आवेदक के हस्ताक्षर